# कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पत्रांक 694 /न0पा0परि0,मोदी0/2017 दिनांक 05 अक्टूबर,2017

## —:सार्वजनिक सूचना:—

सभी नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार दुकानदारों, फेरी वालो, रेहड़ी वालो द्वारा खाद्य/ अखाद्य पदार्थ/वस्तु के भण्डारण एवं वितरण के लिये किसी भी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों का उपयोग वर्जित है साथ–ही किसी भी व्यक्ति द्वारा प्लास्टिक कैरीबेग के विनिर्माण आयात भण्डारण विक्रय व ढुलाई पर उ0प्र0 शासन के द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है अतः उक्त आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

1. कोई भी व्यक्ति किसी पुस्तक पत्रिका और निमंत्रण पत्र को बांधने या ढकने के लिये किसी भी प्रकार का प्लास्टिक शीट या कवर का इस्तेमाल नही करेगा।
2. जब कभी भी बाजार जायें अपने साथ कपड़े का थैला लेकर जायें।
3. पॉलिथीन का प्रयोग न करें व पॉलिथीन कचरा सड़क पर इधर–उधर न फैंके तथा स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम में सहभागी बनें।
4. यदि कोई भी दुकानदार पॉलिथीन बेचता पाया जाता है तो नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा एवं विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
5. दिनांक 11.10.2017 को नगर पालिका परिषद, मोदीनगर क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जायेगा।

आज्ञा से

अधिशासी अधिकारी/प्रशासक
नगर पालिका परिषद, मोदीनगर।

**प्रतिलिपि:–**1. जिलाधिकारी महोदया, गाजियाबाद की सेवा में उनके द्वारा दिये गये निर्देश के कम में, सादर सूचनार्थ।
2. अपरजिलाधिकारी (प्रशासन) गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ।
4. उपजिलाधिकारी मोदीनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
5. श्री मुन्ना साउण्ड सिस्टम, मोदीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, उक्त सूचना की मुनादी निरन्तर दिनांक 11.10.2017 तक कराकर अपना बिल पालिका में भुगतान हेतू प्रस्तुत करें।
6. श्री अंकित गोयल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, इस आदेश की प्रति नगर पालिका परिषद, मोदीनगर की वेबसाईट www.nppmodinagar.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त पत्रकार बन्धुओं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, इस **विज्ञप्ति को समाचार के रुप में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।**

05-10-17

अधिशासी अधिकारी/प्रशासक
नगर पालिका परिषद, मोदीनगर।